बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक 1252 पटना, दिनांक 21.03.18

सं0 सं0–05 / उ0नि0ब0 (पुनर्विनियोग) 01 / 2018

प्रेषक,

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0)
बिहार, पटना।

द्वारा :– वित्त विभाग।

विषय :– संलग्न विवरणी के अनुदान संख्या 23 के मुख्यशीर्ष–2851 ग्राम तथा लघु उद्योग, उपमुख्य शीर्ष 00, लघुशीर्ष 107 रेशम उत्पादन उद्योग, मांग संख्या 23, उपशीर्ष 0001 रेशम का विकास, विपत्र कोड 23-2851.00.107.0001 विषय शीर्ष 0001.14.01 किराया महसूल एवं कर में रू0 6,32,000 / – (छः लाख बत्तीस हजार) मात्र के पुनर्विनियोग की स्वीकृति।

आदेश :– बिहार वित्तीय नियमावली खण्ड–I के नियम 489 के अन्तर्गत स्वीकृत।

2– राशि का विकलन मुख्यशीर्ष–2851 ग्राम तथा लघु उद्योग, उपमुख्य शीर्ष 00, लघुशीर्ष 107 रेशम उत्पादन उद्योग, मांग संख्या 23, उपशीर्ष 0001 रेशम का विकास, विपत्र कोड 23-2851.00.107.0001 विषय शीर्ष 0001.06.01 में रू0 1,00,000 / –, 0001.13.03 में रू0 20,000 / –, 0001.13.05 में रू0 1,00,000, 0001.13.06 में रू0 23,000 / –, 0001.16.01 में रू0 25,000 / –, 0001.20.02 में रू0 1,00,000 / –, 0001.21.01 में रू0 1,35,000 / –, 0001.34.01 में रू0 74,000 / – एवं 0001.52.01 में रू0 55,000 / – अर्थात कुल रू0 6,32,000 / – (छः लाख बत्तीस हजार) मात्र बचत की राशि से विकलित होगा।

3– इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान, नाथनगर, भागलपुर होंगे।

4– राशि की निकासी जिला कोषागार, भागलपुर से की जाएगी।

5– प्रस्ताव में सचिव (व्यय), वित्त विभाग की सहमति संचिका संख्या 05 / उ0नि0ब0 (पुनर्विनियोग) 01 / 2018 के पृष्ठ 11 / टि0 पर दिनांक 17.03.18 को प्राप्त है, जिसका डायरी सं0 1784 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

21.3.18

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

कृ0 पृ0 उ0

ज्ञापांक 1252 / पटना, दिनांक 21.03.18

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 1252 / पटना, दिनांक 21.03.18

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित प्रधान सचिव, वित्त विभाग/उप सचिव, बजट शाखा, वित्त विभाग/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/आय व्यय पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय/प्रशाखा–01(स0), उद्योग विभाग/बजट शाखा, उद्योग निदेशालय/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम/निदेशक, तकनीकी विकास, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग, उप उद्योग निदेशक (योजना) उद्योग निदेशालय/ सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय/आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

अनुसूची–53, प्रपत्र संख्या–212 अनुदान / विनियोग

शीर्षक जिसके अधीन अतिरिक्त उपबंध अपेक्षित है। मुख्य शीर्ष 2851 ग्राम तथा लघु उद्योग, उपमुख्य शीर्ष 00, लघुशीर्ष 107 रेशम उत्पादन उद्योग, मांग संख्या 23, उपशीर्ष 0001 रेशम का विकास, विपत्र कोड 23-2851.00.107.0001						शीर्षक जिससे विनियोग प्रस्तावित है। मुख्य शीर्ष 2851 ग्राम तथा लघु उद्योग, उपमुख्य शीर्ष 00, लघुशीर्ष 107 रेशम उत्पादन उद्योग, मांग संख्या 23, उपशीर्ष 0001 रेशम का विकास, विपत्र कोड 23-2851.00.107.0001					
विनियोग की प्राथमिक इकाईयाँ	मूल उपबंध (स्वीकृत बजट प्राक्कलन)	वर्तमान उपबंध	तात्कालिक प्राक्कलन के अनुसार वर्ष के अन्तर्गत संभावित व्यय	अपेक्षित अतिरिक्त उपबंध	कुल उपबंध जो जोड़ने के बाद रहेगा	विनियोग की प्राथमिक इकाईयाँ	मूल उपबंध (स्वीकृत बजट प्राक्कलन)	वर्तमान उपबंध	तत्काल लिए गए प्राक्कलन के अनुसार वर्ष के अन्तर्गत संभावित खर्च	प्रत्यार्पित राशि	कुल उपबंध जो घटाने के बाद रहेगा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0001.14.01 किराया महसूल एवं कर	450000	450000	1082000	632000	1082000	0001.06.01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	100000	100000	0	100000	0
						0001.13.03 दूरभाष	20000	20000	0	20000	0
						0001.13.05 विधि प्रभार	100000	100000	0	100000	0
						0001.13.06 वर्दी / पोशाक	102000	102000	79000	23000	79000
						0001.16.01 प्रकाशन एवं मुद्रण	50000	50000	25000	25000	25000
						0001.20.02 कांफ्रेन्स कार्यशाला सेमिनार	100000	100000	0	100000	0
						0001.21.01 सामग्री एवं पूर्तियाँ	200000	200000	65000	135000	65000
						0001.34.01 छात्रवृति / वजीफा	200000	200000	126000	74000	126000
						0001.52.01 मशीने एवं उपस्कर	100000	90000	35000	55000	35000
				632000						632000	

टिप्पणी

(क) स्तम्भ–1 और 7 में ऐसे लघु उद्योग, उप शीर्ष दिखाये जाय जिससे इकाई संबंधित हो।

(ख) स्तम्भ 3 या 9 में सम्पर्क पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत मूल अनुदान और पूरक या अतिरिक्त अनुदान की राशि सक्षम पदाधिकारी के आदेशानुसार अन्य इकाईयों में पुनर्विनियोजित रकम को घटाकर दिखाई जाय। स्तम्भ 3 और 9 में ऑकड़े पीठ पर अंकित किया जाय।

(ग) स्तम्भ 6 में 3 और 5 का जोड़ दिखाया जाय।

(घ) स्तम्भ 12 में स्तम्भ 9 और 11 के ऑकड़ों का अन्तर दिखाया जाय।

अनुसूची – 33 प्रपत्र संख्या–212

अतिरिक्त पुनर्विनियोग के लिए आवेदन पत्र

ज्ञापांक पटना, दिनांक

संलग्न विवरणी के अनुदान संख्या 23 के मुख्य शीर्ष 2851 ग्राम तथा लघु उद्योग, उपमुख्य शीर्ष 00, लघुशीर्ष 107 रेशम उत्पादन उद्योग, मांग संख्या 23, उपशीर्ष 0001 रेशम का विकास, विपत्र कोड 23-2851.00.107.0001 विषय शीर्ष 0001.14.01 किराया महसूल एवं कर में रू0 6,32,000/– (छः लाख बत्तीस हजार) मात्र के पुनर्विनियोग की स्वीकृति।

2– प्रस्तावित पुनर्विनियोग के संबंध में स्पष्टीकरण :–
बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान, नाथनगर, भागलपुर के कार्यालय भवन के होल्डिंग टैक्स एवं महसूल के भुगतान हेतु मुख्य शीर्ष 2851 ग्राम तथा लघु उद्योग, उपमुख्य शीर्ष 00, लघुशीर्ष 107 रेशम उत्पादन उद्योग, मांग संख्या 23, उपशीर्ष 0001 रेशम का विकास, विपत्र कोड 23-2851.00.107.0001 विषय शीर्ष 0001.14.01 किराया महसूल एवं कर में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। इसके लिए मुख्य शीर्ष 2851 ग्राम तथा लघु उद्योग, उपमुख्य शीर्ष 00, लघुशीर्ष 107 रेशम उत्पादन उद्योग, मांग संख्या 23, उपशीर्ष 0001 रेशम का विकास, विपत्र कोड 23-2851.00.107.0001 के अन्तर्गत विषय शीर्ष 0001.06.01, 0001.13.03, 0001.13.05, 0001.13.06, 0001.16.01, 0001.20.02, 0001.21.01, 0001.34.01 एवं 0001.52.01 से कुल रू0 6,32,000/– (छः लाख बत्तीस हजार) मात्र बचत राशि को प्रत्यर्पित करने का प्रस्ताव है।

3– इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान, नाथनगर, भागलपुर होंगे।

4– पुनर्विनियोग की आवश्यकता के संबंध में स्पष्टीकरण तथा प्रत्यार्पित बचत के संबंध में स्पष्टीकरण यदि कुछ हो :–
पुनर्विनियोग की आवश्यकता के संबंध में स्पष्टीकरण ऊपर कंडिका 2 में अंकित है।

5– स्तम्भ 2 और 3 तथा स्तम्भ 8 और 9 में यदि कोई अंतर हो तो उसका स्पष्टीकरण :–
(क) स्तम्भ 2 एवं 3 में अंतर शून्य।
(ख) विपत्र कोड 23-2851.00.107.0001 के अन्तर्गत विषय शीर्ष 0001.20.03 प्रशिक्षण व्यय में पुनर्विनियोग हेतु विषय शीर्ष 0001.52.01 संविदा सेवाएं मद में रू0 10,000/– की राशि के प्रत्यार्पण के कारण स्तम्भ 8 एवं 9 की राशि में अंतर है।